कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

(खनन अनुभाग)

दिनांक: 22 जुलाई, 2023

संख्या: 222 /क्वैरी कार्या0

ई–निविदा **आमंत्रण** हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अयोध्या के तहसील रूदौली के ग्राम अख्तियारपुर गाटा सं0 785 व 755 में भण्डारित साधारण बालू जिसका भण्डारण स्वामी द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया, उक्त भण्डारित बालू को शासनादेश संख्या–715/86–2017–57(स)/2017 दिनांक 22.04.2017 व शासनादेश संख्या 2595/86–2018–12(सामा0)/2018 दिनांक 03.12.2018 में दिये गये निर्देशानुसार 03 माह की अल्प अवधि के लिए ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से दिनांक 11.08.2023 से 22.08.2023 तक ई–निविदा etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार आंमत्रित किया जाता है:–

जनपद अयोध्या तहसील रूदौली में सीज अवैध रूप से भण्डारित सा0 बालू विवरण

क0सं0	तहसील/ ग्राम/ लाट संख्या	गाटा संख्या	खनिज का नाम	सीज के उपरान्त अनुमानित भण्डारित बालू मात्रा (घन मी0)	रायल्टी दर (घन मी0)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (घन मी0)	कुल धनराशि का 75 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी
1	**लाट–01** रूदौली/अख्तियारपुर	785	साधारण बालू	5646	65	3,66,990	2,75,243
2	**लाट–02** रूदौली/अख्तियारपुर	755	साधारण बालू	16000	65	10,40,000	7,80,000
3	लाट संख्या		बिन्दु (Pillars)		अक्षांश (Longitude)		देशान्तर (Longitude)
	लाट–01 रूदौली/अख्तियारपुर		A		26° 47' 1.74"		81° 47' 20.43"
			B		26° 47' 0.44"		81° 47' 22.75"
			C		26° 46' 57.26"		81° 47' 22.64"
			D		26° 46' 59.75"		81° 47' 19.11"
	लाट–02 रूदौली/अख्तियारपुर		A		26° 47' 14.27"		81° 47' 26.99"
			B		26° 47' 13.40"		81° 47' 28.70"
			C		26° 47' 10.64"		81° 47' 27.77"
			D		26° 47' 12.22"		81° 47' 24.47"
			E		26° 47' 13.46"		81° 47' 25.31"
			F		26° 47' 13.30"		81° 47' 26.19"

2. सभी खण्डों से बालू हटाने/उठाने की अवधि अधिकतम 03 माह होगी जिसमें कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान)
ई–मेल एवं मोबाइल नं0

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम–
खण्ड संख्या/लाट संख्या–
विज्ञप्ति में दी गयी भण्डार की मात्रा–

ङ. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं0 (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)

च. खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।

छ. बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंकड्राफ्ट जिलाधिकारी अयोध्या के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति ई निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगी उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी

ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
च. उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
छ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।
ज. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क 15,000/–के जमा का चालान।

4. ई–निविदा आंमत्रण सूचना दिनाक 11.08.2023 से 22.08.2023 के 07 कार्य दिवस के अन्दर अपरान्ह 5.00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकर को ई–टेण्डरिंग प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–

(क) ई–टेण्डरिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

6. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पर करा लेने तथा डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) व पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिगनेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Serch Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paritipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्पयूटर स्कीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

V. निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 बनायी जानी होगी।

VI. ई–टेण्डर डाकुमेन्टस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफ लाइन" (Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्कीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

VII. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

VIII. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रिबिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

IX. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रकिया को अपनाते हुए ई निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नही होगी।

7. विज्ञप्ति के अनुसार ई–निविदा 07 कार्यदिवसो में प्राप्त ई निविदाओं को अगले कार्यदिवस दिनांक 23.08.2023 अपरान्ह 1.00 बजे लोकसभागार कलेक्ट्रेट अयोध्या में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

8. विन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैक ड्राफट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा बैक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 22.08.2023 के 5.00 बजे के पूर्व जमा करना होगा। बैक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. भण्डारित साधारण बालू के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा हटाने सम्बन्धी अनुज्ञप्ति जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

10. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

11. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगा इन्टरनेट केन्द्र की सेवाएं ली जा सकती है।

12. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/परीक्षण हेतु यू0पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10 अशोक मार्ग लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

13 भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

14. भण्डारित साधारण बालू के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के 02 कार्यदिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नही होगी।

15. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक मार्ग की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नही होगी।

16. ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

17. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वंय आश्वस्त हो ले। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा"।

18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (मा0एन0जी0टी0) द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021, उ0प्र0 भण्डारण नियमावली–2018 तथा समय समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होंगा।

19. निविदाकर्ता के पक्ष में भण्डारित स्थल से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति धारक उत्तरदायी होगा।

20. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।

21. सफल निविदादाता को देय रायल्टी पर 02 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास अयोध्या (डी0एम0एफ) तथा नियमानुसार अन्य देय जमा करना होगा।

(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पत्र संख्या– /क्वैरी कार्या0 तददिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2–आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या।
3–निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4–प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5–निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय सी0डी0 छः प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराने हेतु।
6–जिला सूचनाधिकारी अयोध्या को निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
7–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद अयोध्या को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

प्रारूप–2

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम – ख. उपखनिज का नाम – ग. जनपद का नाम – घ. तहसील का नाम – ड. खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम – च. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या – छ. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में) – ज. विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार भूस्वामी है (हॉ/नहीं)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
8.	स्थायी पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाईल नम्बर	
11	ई–मेल आइडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
15.	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्रफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर रू0 65/– प्रति घन मीटर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	ड्राफ्ट धनराशि –––––– बैंक का नाम व शाखा –––––––– ड्राफ्ट का नम्बर –––––––––– ड्राफ्ट का दिनांक ––––––– बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
16.	खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर–(ई–निविदा की दर साधारण बालू के लिये नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65/– से कम नही होगी।)	रू0–....प्रति घन मी0 (अंकों में) रू0–....प्रति घन मी0 (शब्दों में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.......................................

पदनाम ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak
Date: 2023.08.02 13:50:29 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak
Date: 2023.02.25
Location: Uttar Pradesh-UP